भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 731

उत्तर देने की तारीख 07.12.2023

खादी कारीगरों का पारिश्रमिक

731. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खादी कारीगरों, अर्थात् कताई करने वालों और बुनकरों की एक वर्ष की आय/मजदूरी अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो मजदूरी और आशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) से उनकी प्रतिदिन औसत अनुमानित न्यूनतम आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि एमएमडीए प्रणाली में खादी संस्थानों को भुगतान में विलंब और छूट की एकरूपता के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) कारीगरों की कताई मजदूरी दिनांक 01.04.2023 से 7.50 रु. प्रति लच्छा से बढ़कर 10 रू. प्रति लच्छा हो गई है तथा सूती खादी, ऊनी खादी और पॉलीवस्त्र के लिए बुनाई मजदूरी में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

खादी क्रियाकलापों में लगे खादी कताईकर्ताओं और बुनकारों की आय, टुकड़ा (पीस) दर प्रणाली के अंतर्गत उनके उत्पादन पर आधारित हैं। कताईकर्ताओं की औसत उत्पादन क्षमता नए मॉडल के चरखों (एनएमसी) पर लगभग 22 लच्छा प्रतिदिन है जिस पर उन्हें 10 रु. प्रति लच्छा की दर पर मजदूरी प्राप्त होती है और लगभग 220 रु. प्रतिदिन की कताई मजदूरी प्राप्त होती है, जिस पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन और 12 प्रतिशत कारीगर कल्याण कोष (एडब्ल्यूएफ) को भी जोड़ा जाना होता है। इस प्रकार, कताईकर्ताओं की मजदूरी लगभग 270 रू. प्रतिदिन की होती है। औसत बुनाई मजदूरी लगभग 250 रू. से 500 रू. प्रति दिन की होती है जो कि सूती खादी, रेशम खादी जैसी विभिन्न किस्मों की बुनाई पर आधारित होती है।

उपर्युक्त के अलावा, खादी कारीगरों की आय में सुधार करने के लिए केवीआईसी, खादी विकास योजना के अंतर्गत उत्पादन की प्रमुख लागत पर खादी संस्थाओं को संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) की 35% मात्रा प्रदान करता है जिसमें से 35% मात्रा खादी कारीगरों को प्रदान करता है।

(ग) संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) का उद्देश्य प्रोत्साहन के रूप में खादी कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिससे खादी के उत्पादन और बिक्री में बढ़ोत्तरी हो सके। इसलिए इसका उद्देश्य खादी संस्थानों के साथ जुड़े कारीगरों की मज़दूरी में वृद्धि करना और इनकी अजीविका में सुधार करना है।

खादी पर छूट बिक्री स्थल पर प्रदान की जा रही थी ताकि खुले बाज़ार में सामान्य वस्त्र की लागत की समान दर पर खादी वस्त्र की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जा सके, जिसमें खादी कारीगरों के लिए कोई लाभ नहीं है। इसलिए, एमएमडीए से तत्कालीन छूट की तुलना नहीं की जा सकती है।

एमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, केवीआईसी द्वारा एमएमडीए प्रोत्साहन किसी विशेष तिमाही के पूर्ण होने के बाद 35 दिनों के भीतर त्रैमासिक आधार पर संवितरित किया जाएगा। खादी संस्थानों द्वारा एमएमडीए दावों को ऑनलाइन प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर जमा किया जाता है। खादी संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए एमएमडीए दावों की जांच के दौरान, केवल अपेक्षित मानदंडों और अपेक्षित अतिरिक्त सूचना/दस्तावेजों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाए गए दावों को अनुपालन हेतु खादी संस्थानों को वापस भेजे जाएंगे।

उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय एमएमडीए दावों के प्रभावी कार्यान्वयन और समय पर संवितरण हेतु नियमित जागरुकता कैंप, समीक्षा बैठकें और एमएमडीए स्कीम की निगरानी भी कर रहे हैं।

*****